रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 21, 1974/वैशाख 31, 1896
No. 229] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 21, 1974/VAISAKHA 31, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

14 JUN 1974

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May 1974

S.O. 306(E).—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information—

DECLARATION

Bye-election to the 5-Bijnor (S.C.) Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh

"In pursuance of provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951,read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Sri Ram Dayal (Indian National Congress) R/O, Village Vaishpur Kuria, P.O. Chhitawar. District Bijnor, has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the death of Sri Swami Ramanand Shastri Member of Lok Sabha.

PLACE: Bijnor

DATE: 10-5-74.

(Sd.) ASHRAF ALI KHAN,
Returning Officer,
5-Bijnor (SC) Parliamentary Constituency".

[No. F.13(1)/74-Leg.II]

S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 1974

सा० आ० 306(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबन्धों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें उसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :

घोषणा

उत्तर प्रदेश राज्य के 5-बिजनौर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप नियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि :—

लोक सभा के सदस्य श्री स्वामी रामानन्द शास्त्री की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए श्री राम दयाल (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) निवासी ग्राम—वैशपुर कुरिया, डाकघर—छितवार, जिला—बिजनौर, सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

(ह०) अशफाक अली खान,
रिटर्निंग आफीसर,
5-बिजनौर (अ० जा०)
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र"।

स्थान : बिजनौर
तारीख 10—5—74

[सं० एफ० 13 (1)/74—विधा० II]

एस० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974